

अध्याय-7

किसी ऐसे इन्तजाम की विशिष्टियां जो उसकी नीतियों के बनाये जाने या उनके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हो।

1. जयपुर महानगर के सुनियोजित विकास के लिए जयपुर रीजन के मास्टर प्लान के अनुसार योजनाएँ/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नीतियां बनाने के संबंध में प्राधिकरण (Authority) का गठन किया गया है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जनता के सदस्य परामर्श/अभ्यावेदन करते हैं।

प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार है:-

- I. अध्यक्ष जो राजस्थान राज्य के नगरीय विकास स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री होंगे।
 - II. मुख्य शासन सचिव।
 - III. शासन सचिव, राजस्व विभाग।
 - IV. शासन सचिव वित्त विभाग।
 - V. शासन सचिव, नगर विकास एवं आवासन विभाग।
 - VI. शासन सचिव चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग।
 - VII. शासन सचिव, उद्योग विभाग।
 - VIII. महानिरीक्षक, पुलिस राजस्थान।
 - IX. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
 - X. मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तु सलाहकार, राजस्थान।
 - XI. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल।
 - XXII. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।
 - XIII. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड।
 - XIV. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड।
 - XV. अध्यक्ष/प्रशासक, नगरपालिका परिषद, जयपुर।
 - XVI. जयपुर जिले की जिला परिषद का जिला प्रमुख।
 - XVII. जयपुर रीजन में अधिकारिता रखने वाली, नगरपालिका परिषद, जयपुर से भिन्न नगर पालिकाओं के समस्त अध्यक्ष/प्रशासक।
 - XVIII. आयुक्त, जयपुर विकास (इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया)
 - XIX. महाप्रबन्धक, पश्चिमी रेलवे या उसका प्रतिनिधि जो डिविजनल रेल प्रबन्धक के पद से नीचे का न हो (भारत सरकार की सम्पत्ति से)
 - XX. निर्माण एवं आवासन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि (भारत सरकार की सम्पत्ति से)।
 - XXI. उप-कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय।
 - XXII. उप-क्षेत्रीय कमाण्डर (सेना) (भारत सरकार की सम्पत्ति से)।
 - XXIII. महाप्रबन्धक दूर संचार, राजस्थान (भारत सरकार की सम्पत्ति)।
 - XXIV. प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित सात सदस्य।
 - XXV. जयपुर रीजन सम्पूर्णतः या भागतः अधिकारिता रखने वाली पंचायत समितियों के समस्त प्रधान।
2. कार्यकारणी समिति (Executive committee (EC))
 3. यातायात प्रबन्धन बोर्ड (Traffic control board (TcB))
 4. भूमि एवं सम्पत्ति समिति (Land and property committee (LPC))
 5. भवन योजना समिति (बी.पी./एम.पी) (Building plan committee (Bp/M.p))
 6. भवन योजना समिति (एल.पी) Building plan committee (Layout.Plan)
 7. प्रोजेक्ट्स वर्क्स समिति (Project works committee (PWC))